प्रेस विज्ञप्ति
31.05.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 29.05.2026 को भसीन इन्फोटेक एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (बीआईआईपीएल) व ग्रांड वेनेज़िया कॉमर्शियल टॉवर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीवीसीटीपीएल) के प्रमोटर सतिंदर सिंह भसीन को उक्त कंपनियों से संबंधित धन-शोधन मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, गाज़ियाबाद ने उन्हें 6 जून 2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने उप्र पुलिस द्वारा बीआईआईपीएल, जीवीसीटीपीएल, सतिंदर सिंह भसीन, क्सिी भसीन व अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साज़िश के आरोपों में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर के अनुसार, आरोपितों ने रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेशकों से वाणिज्यिक इकाईयों की समय पर डिलीवरी का वादा करके 93.23 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, जो कभी पूरे नहीं हुए या सौंपे नहीं गए।

ईडी की जांच में पता चला कि आम निवेशकों से इकट्ठा की गई धनराशि, वादे के मुताबिक परियोजनाओं के विनिर्माण व विकास में इस्तेमाल करने के बजाय, समूह कंपनियों व सहयोगी संस्थाओं के जाल में इधर-उधर करके विपथित कर दी गई।

इससे पहले, ईडी ने अप्रैल 2025 में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, नोएडा और गोवा में आरोपितों से जुड़ी 9 जगहों पर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान, अपराध-संकेती दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और लगभग 36 लाख रुपये नगद ज़ब्त किए गए थे।

इस मामले में, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत, पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थित सतिंदर सिंह भसीन के एक रिहायशी मकान को भी अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया था। इस संपत्ति का मौजूदा मूल्य 44.06 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच चल रही है।